

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/113  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00104  
CICOM/R/2018/00192

दिनांक: 09.05.2018

अपीलकर्ता : कु0 रजनी देवी, द्वारा - श्री श्रीराम,  
मो0 - आदर्शनगर कालोनी, गली नं. 1,  
रोजा जं., पो0 - रोजा आर.एस.,  
जिला - शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।

निर्णय की तारीख: 09.05.2018

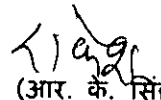
|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 12.02.2018                         |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 16.03.2018                         |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री ए. के. तलपात्रा               |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 21.04.2018                         |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 187/04.05.2018 (127812/03.05.2018) |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के पत्र सं. CIC/WB/A/2010/000859 दिनांक 06.09.2017 का अनुपालन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा ये दस्तावेज आयोग को 06.09.2017 के बाद उपलब्ध करवाए गए हैं या उससे पहले।

2. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को बुलाए जाने पर उन्होंने बताया कि संबंधित संचिका सं. CIC/WB/A/2010/000859 में जो दस्तावेज हैं, वही सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को प्रदान किए गए हैं, इसके अतिरिक्त निर्णय सं. CIC/WB/A/2010/000859 के अनुपालन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज संबंधित फाइल में उपलब्ध नहीं है। तदुसार श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना को बिल्कुल तथ्यानुसार पाया गया जिसमें अधोहस्ताक्षरी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

  
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
दूरभाष - 011-26162290

10 MAY 2018

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

  
A.K. Talpatri  
10/05/18